न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3102–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–6–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल प्रकरण कमांक 56/निगरानी/2012–13

शशिकांत पिता राम मिलन यादव
निवासी मिठौरी तहसील सोहागपुर
थाना व जिला शहडोल म0प्र0

–––––आवेदक

विरूद्ध

1. आजाद सिंह पिता अवध प्रसाद सिंह
2. केमलीबाई बेवा अवध प्रसाद सिंह
3. शैलकला पति स्व0 अजयसिंह
4. अंकु उम 15 वर्ष
5. साक्षी उम्र 13 वर्ष
6. अंकुश उम्र 10 वर्ष सभी पिता स्व0 अजयसिंह
   4 लगायत 6 नाबालिग जरिये वली सरपरस्त मां शैलकला
   बेवा स्व0 अजयसिंह
7. लोकनाथ पिता बल्ला राठौर
8. सुरेश पिता बल्ला राठौर
   सभी निवासी पतखई तहसील सोहागपुर थाना
   व जिला शहडोल म0प्र0
9. मु. मोलिया बेवा राम मिलन यादव
10. रामफल पिता स्व0 राममिलन यादव
11. राजकमल पिता स्व0 राममिलन यादव
12. गेंदिया पिता स्व0 राम मिलन यादव
13. रामरती पिता स्व0 स्व0 राम मिलन यादव
14. पार्वती पिता स्व0 स्व0 राम मिलन यादव
    सभी निवासी ग्राम रतहर थाना तहसील गोहपारू
    जिला शहडोल म0प्र0

15. मु0 चिरौंजिया बेवा रामलाल यादव
16. डूमन प्रसाद पिता स्व0 रामलाल यादव
17. बिहारीलाल पिता स्व0 रामलाल यादव
18. श्यामलाल पिता स्व0 रामलाल यादव
    सभी निवासी ग्राम रतहर थाना तहसील गोहपारू
    जिला शहडोल म0प्र0
19. सुखिया यादव पुत्री भुखिया यादव
20. जगवतिया उर्फ लल्ली यादव पुत्री भुखिया यादव
    निवासी ग्राम बहेरहा थाना तहसील गोहपारू
    जिला शहडोल म0प्र0
21. मध्यप्रदेश शासन

–––––अनावेदकगण

– – – – – –

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदक क्रं 1 से 8
श्री डी0के0 शुक्ला, पैनल अभिभाषक, अनावेदक क्रं 21

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 11 फरवरी 2015)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल प्रकरण कमांक 56/निगरानी/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 21–6–2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बमुरा की आराजियात किता 07 रकबा 29.40 एकड़ भूम को अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के पिता अवध प्रसाद तथा

अनोवदक कमांक 7 एवं 8 के द्वारा तहसीलदार सोहागपुर के समक्ष नामांतरण का आवेदन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 8–7–1988 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में कार्यवाही स्थगित रखी जाये। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 6–8–1997 के द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त किया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर शहडोल ने अपने आदेश दिनांक 8–4–2010 को तहसीलदार का आदेश यथावत रखते हुये निगरानी निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 21–6–13 निगरानी सारहीन होने से निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से आधार लिया कि कुल किता 7 कुल रकवा 29.40 एकड़ के संबंध में आवेदक ने स्वत्व घोषणा संबंधी व्यवहार वाद प्रस्तुत किया था जो दिनांक 10–11–2011 के द्वारा निरस्त हो चुका है, परन्तु उक्त आदेश के विरूद्ध अभी अपील विचाराधीन है। चूंकि व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील लंबित है अतः व्यवहार न्यायालय का आदेश अंतिम नहीं माना जा सकता है। आवेदक अभिभाषक ने यह तर्क दिया कि उसके द्वारा तहसील न्यायालय में 10 व्यवहार प्रकिया संहिता का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि व्यवहार न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन लंबित है ऐसी स्थिति में नामांतरण की कार्यवाही स्थगित रखी जाये, परन्तु तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की गई है। अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा भी इस तथ्य पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया कि व्यवहार

न्यायालय का आदेश एवं डिक्री राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है और उपरोक्त आराजियों के संबंध में व्यवहार वाद के निराकरण तक राजस्व न्यायालय की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिए। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जायें।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 8 के अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से आधार लिया कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था कि व्यवहार वाद के निराकरण तक प्रकरण लंबित रखा जाये। तहसील न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन को निरस्त किया गया जिसे अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा भी उचित माना है। उनके द्वारा यह तर्क दिया कि आवेदक जिस व्यवहार वाद के लंबित रहने का उल्लेख कर रहे हैं वह आदेश दिनांक 10—1—2011 से निराकृत किया जा चुका है तथा आवेदक के हित में वसीयत होना प्रमाणित नहीं माना है। अब तहसील न्यायालय की कार्यवाही को रोकने का कोई कारण शेष नहीं रह जाता है। आवेदक अभिभाषक द्वारा यह भी तर्क दिया कि आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध उसकी अपील लंबित रहने का जो तर्क है उक्त अपील में व्यवहार न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के कियान्वयन को स्थगित नहीं किया है अतः व्यवहार न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री प्रभावशील है तथा राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है। अतः इस निगरानी में किसी प्रकार का कोई बल नहीं होने से निरस्त की जाये।

5/ अनावेदक कमांक 9 लगायत 20 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे। उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

6/ अनावेदक कमांक 21 शासन की ओर से शासकीय पैनल अभिभाषक ने तर्क किया कि व्यवहार वाद के निराकरण के पश्चात नामांतरण की कार्यवाही को रोकना उचित नहीं है।

7/ उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत व्यवहार वाद कमांक 10ए/2010 आदेश दिनांक 10–11–2011 से निराकरण हो चुका है जिसके द्वारा आवेदक का स्वत्व संबंधी वाद निरस्त हो चुका है। इसलिए अब अधीनस्थ राजस्व न्यायालय में व्यवहारवाद में किए गए आदेश के अनुक्रम में कार्यवाही की जाना है। व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी होते हैं और चूंकि अपीलीय व्यवहार न्यायालय से किसी प्रकार के स्थगन सम्बन्धी आदेश की जानकारी नहीं है अतः ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय में कार्यवाही को लंबित रखना उचित नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। प्रकरण समाप्त कर दाखिल रिकार्ड हो। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापस भेजे जायें।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वलियर